निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 120/2019 दावा
दायरा दिनांक 28.04.2020
निर्णय दिनांक :– 9.9.21

उनवान

लक्ष्मा बाई पत्नी रामचन्द्र पुत्री कंवरिया जाति माली निवासी हनुमान बगीची के सामने वार्ड नंबर 29 बारां तहसील व जिला बारां राजस्थान।

बनाम

1. जगन्नाथी बाई पुत्री भूरा जाति माली
2. नाथी पत्नी बाबूलाल पुत्री भूरा जाति माली
3. गिर्राज पुत्र बंशीलाल जाति माली
4. बंशीलाल पुत्र गोपाल जाति माली
5. शांतिबाई पुत्री कवरिया जाति माली निवासीगण माथना रोड बारां तहसील व जिला बारां।
6. सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील बारां जिला बारां।

वाद अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 9.9.21

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा एडवोकेट – वादीया
2 श्री ओमप्रकाश मेहता III एडवोकेट – प्रतिवादी

अभिभाशक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया, कि वादनी व प्रतिवादीगण क्रम 1 लगायत 5 के संयुक्त खाते में ग्राम गोपालपुरा पटवार क्षैत्र लिसाहिया तहसील बारां मे खाता संख्य नई 87 पुरानी 81 खसरा नंबर क्रमशः 169, 170, 172 रकबा क्रमशः 0.01 हेक्टेयर 2.60 हेक्टेयर 2.24 हेक्टेयर कुल किता 3 रकबा 4.75 हेक्टेयर स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का 0.48 हेक्टेयर आराजी पर प्रार्थीया / वादिया काबिज काश्त है, उक्त आराजी खसरा नंबर 170 रकबा 2.50 हेक्टेयर मे भाामिल है, जिसे [illegible] पृथक से खाते दर्ज करवाना चाहती है। [illegible] पक्षकार बनाया गया है। वादनी द्वारा प्रतिवादी नंबर 6 मोलेण्ड होल्डर होने के कारण [illegible] प्रतिवादीगण 1 ता 5 का खाता भी प्रतिवादीगण क्रम 1 ता 5 से स्वयं का खाता [illegible] दिनांक 15.07.2019 को पृथक–पृथक करवाने हेतु आपसी सहमति से करवा [illegible]

उप खण्ड अधिकारी
बाराँ

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:34:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पृथक खाते करवाने से इन्कार कर दिया इस कारण वाद कारण बमुकाम गोपालपुरा तहसील बारां मे पैदा हुआ है। वादीया द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से एकबाली जवाब दावा पेश किया गया। वादीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन मे नकल जमाबन्दी ग्राम गोपालपुरा सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 87 पेश की गई। साक्ष्य वादी में वादी लक्ष्मा बाई का शपथ–पत्र पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान् सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है, कि विवादित आराजी वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील बारां में स्थित है, जो वादी एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी मे दर्ज है। वादीया उक्त विवादित आराजी मे 0.48 हेक्टेयर पर काबिज काश्त है। वादीया अपने कब्जे एंव खातेदारी की आराजी का पृथक–पृथक विभाजन कराकर राजस्व रिकार्ड मे अलग खाता दर्ज करवाना चाहती है। प्रतिवादीगण द्वारा इकबाली जवाब प्रस्तुत कर विवादित भूमि में से वादीया के हिस्से एवं कब्जे की भूमि का विभाजन किया जाकर अलग खाते दर्ज करने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही होना बताया है। वकील प्रतिवादी का कथन है, कि वादिया का वाद स्वीकार करने में मुझ प्रतिवादी को कोई आपत्ति नही है। वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान् सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अध्योपान्त अध्ययन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम गोपालपुरा सम्वत् 2066–69 खाता संख्या 87 के अनुसार गिर्राज पुत्र बंशीलाल, बंशीलाल पुत्र गोपाल लक्ष्माबाई, भांातिबाई पुत्रिया कवरिया कोम माली हिस्सा 1/2 दर्ज है। इससे यह साबित होता है, कि विवादित आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण के भाामलाती खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वादीया अपने हिस्से की आराजी का पृथक–पृथक विभाजन कराकर अलग खाता दर्ज कराना चाहती है, जिसमें प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। वादिया का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचानुसार वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील बारां के खसरा नंबर 169 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नंबर 170 रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा नंबर 172 रकबा 2.24 हेक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 4.75 हेक्टेयर में से वादीया के हिस्से का पृथक–पृथक विभाजन राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 के अनुसार करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है। तदनुरूप प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:34:15 IST
Reason: SelfAttested

(दिवांशु शर्मा)
उप खण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
बारां
उपखण्ड़ अधिकारी बारां

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

प्राथमिक डिक्री

वाद संख्या 120/2019	धारा 53,आर टी एक्ट	निर्णय दिनांक : 09.09.2021
समक्ष : श्री दिवांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– नरेन्द्रसिह हाडा	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री ओमप्रकाश मेहता III	

वाद शीर्षक
उनवान

लक्ष्मा बाई पत्नी रामचन्द्र पुत्री कंवरिया जाति माली निवासी हनुमान बगीची के सामने वार्ड नंबर 29 बारां तहसील व जिला बारां राजस्थान।

बनाम

1. जगन्नाथी बाई पुत्री भूरा जाति माली
2. नाथी पत्नी बाबूलाल पुत्री भूरा जाति माली
3. गिर्राज पुत्र बंशीलाल जाति माली
4. बंशीलाल पुत्र गोपाल जाति माली
5. शांतिबाई पुत्री कवरिया जाति माली निवासीगण माथना रोड बारां तहसील व जिला बारां।
6. सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील बारां जिला बारां।

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीया का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील बारां के खसरा नंबर 169 रकबा 0.01 हेक्टेयर, खसरा नंबर 170 रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा नंबर 172 रकबा 2.24 हेक्टेयर, कुल किता 3 रकबा 4.75 हेक्टेयर में से वादीया के हिस्से का पृथक–पृथक विभाजन राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के नियम 18 से 21 के अनुसार करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरें हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 09.09.2021.को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
बारां

(मुहर: उप खण्ड अधिकारी)

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वाद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य/क्षतिपूर्ति		
9.	ब्याज (:)		
10.	योग		

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:54:15 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

विविध स...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

संशोधित अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 120/19	धारा अंतर्गत 53 RTA	निर्णय दिनांक 19.12.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री नरेन्द्र सिंह हाडा		अभिभाषक प्रतिवादी श्री ओम मेहता III

वाद शीर्षक

लक्ष्माबाई पत्नी रामचन्द्र पुत्री कंवरिया जाति माली नि. हनुमान बगीची के सामने वार्ड नम्बर 29 बारां तह. बारां

बनाम

1. जगन्नाथी बाई पुत्री धूरा जाति माली
2. नाथी पत्नी बाबूलाल पुत्री धूरा जाति माली
3. गिर्राज पुत्र बंशीलाल जाति माली
4. बंशीलाल पुत्र गोपाल जाति माली
5. शान्तिबाई पुत्री कंवरिया जाति माली निवासी माथना रोड बारां तहसील बारां
6. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाके ग्राम गोपालपुरा तह. बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :-

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	लगान	कि...
लक्ष्माबाई पुत्री कंवरया जाति माली नि. बारां	172/1	0.48	7.08	पी...
गिर्राज नाबा. पुत्र बंशीलाल सरपरस्त बंशीलाल हि. 1/7, जगन्नाथी पुत्री धूरा हि. 4/14, द्वारका पत्नी धूरा हि. 4/14, नाथी पुत्री धूरा हि. 4/14, बंशीलाल पुत्र गोपाल हि. 1/7, शान्तिबाई पुत्री कंवरया हि. 1/7 जाति माली नि. बारां	172/2 169 170	1.65 0.01 2.50	19.80 - 44.08 18.62	...
	कित्ता 3	4.16	82.50	

अनुसार विभाजित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

.... को प्रदान किया जाए

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को निर्गत किया गया।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ....

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:54:15 IST
Reason: SelfAttested

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, बारां

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
	... (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		

Scanned with CamScanner

[कार्या]लय उपखण्ड अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला-बारां (राज.)

अन्तिम डिक्री

वाद संख्या 120/19	धारा अंतर्गत 53 RTA	निर्णय दिनांक 25.2.22
समक्ष - श्री दिव्यांशु शर्मा आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी बारां		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी श्री नरेन्द्र सिंह हाडा	अभिभाषक प्रतिवादी श्री ओम मेहता III	

वाद शीर्षक

लक्ष्मीबाई पत्नी रामचन्द्र पुत्री कंवरिया जाति माली नि० हनुमान गली के सामने वार्ड नम्बर 29 बारां तह० बारां।

बनाम

1. जगन्नाथी बाई पुत्री हरा जाति माली
2. नाथी पत्नी बाबूलाल पुत्री हरा जाति माली
3. गिरराज पुत्र बंशीलाल जाति माली
4. बंशीलाल पुत्र गोपाल जाति माली
5. शान्तिबाई पुत्री कंवरया जाति माली निवासी माथना रोड बारां तहसील बारां
6. सरकार जरिये तहसीलदार बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

मुताबिक निम्नानुसार प्रस्ताव अनुसार वाके ग्राम गोपालपुरा तह० बारां का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन निम्नानुसार किया जाता है

नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	लगान	हिस्सा
1. लक्ष्मीबाई पुत्री कंवरया जाति माली नि बारां	172/1	0.59	7.08	पश्चिमी
2.(i) नाबा. गिरराज पुत्र बंशीलाल सरपरस्त बंशीलाल हि. 1/5 जाति माली सा. बारां	172/2	1.65	19.80	पूर्वी
	169	0.01	-	-
(ii) जगन्नाथी पुत्री हरा हि 4/21 जाति माली सा. बारां	170	2.50	44.08 18.62	-
(iii) दारवा पत्नी हरा हि 4/21 जाति माली सा. बारां				
(iv) नाथी पुत्री हरा हि 4/21				
(v) बंशीलाल पुत्र गोपाल हि 1/5				
(vi) शान्तिबाई पुत्री कंवरया हि 1/5 जाति माली सा. बारां				
	किता 3	4.16	82.50	

उपरोक्तानुसार विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य पृथक-पृथक विभाजन किया जाता है तथा कागजात राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार बारां को आदेशित किया जाता है।

.... रू0 का व्ययानुतोष .... द्वारा .... को प्रदान किया जाए।

साथ ही नियमानुसार ....

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 25.2.22 को निर्गत किया गया।

हस्ताक्षर
उपखण्ड मजिस्ट्रेट बारां
उपखण्ड अधिकारी, बारां

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:54:15 IST
Reason: SelfAttested

व्ययानुतोष

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1	वाद पत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2	अभिभाषक पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4	प्रार्थना पत्र(स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6	व्यय साक्षी		

Scanned with CamScanner